(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE (PART IV) EXTRAORDINARY)

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES GOVT. OF N.C.T. OF DELHI, OLD COURT BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI - 110001

F. No. 47/Policy/06/2020/

Dated: / /2020

NOTIFICATION

F. No. 47/Policy/06/2020: In exercise of powers conferred by section 127 of the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) & Rule 163 of Delhi Co-operative Societies Rules 2007, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi keeping in view various guidelines and restrictions which remained/remain in force on account of Covid-19 situation: hereby order that the provisions relating to conduct of annual audit of a co-operative society as contained in section 60 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 and Rule 38 and Rule 80 of Delhi Co-operative Societies Rules, 2007 shall in respect of conduct of audit of a cooperative society for the financial year 2020-21, shall apply with following modification:-

"That the entire process of conduct of annual audit of the cooperative societies is making up of accounts, conduct of audit by the empanelled CAs and submission of a copy of audit report to Office of RCS is to be completed by the societies by 15th January, 2022 irrespective of the timelines prescribed for various intervening steps/compliances."

By order and in the name of The Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(DR. T. PHILIP THANGLIENMANG) SPL. SECRETARY

F. No. 47/Policy/06/2020/ 196

Dated: 9/1/2/2021

Copy forwarded for information to:-

1. The Pr. Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi.

- 2. The Dy. Secretary(Coordination), GAD, Govt. of NCT of Delhi
- 3. Officer Concerned.
- 4. PAO-XIII, Govt. of NCT of Delhi, Shankar Road, New Delhi.
- 5. P.A to RCS/Spl. RCS/DRCS/ARCS, O/o RCS, New Delhi.
- 6. All Branch/Section In-charges.
- 7. All Cooperative Group Housing/HB Societies, Delhi.
- 8. All Cooperative Banking/T&C Societies, Delhi.
- 9. I/C Computer Cell- to upload on the website
- 10. Guard File

(DR. T. PHILIP THANGLIENMANG) SPL. SECRETARY

966

(दिल्ली राजपत्र (भाग १V) असाधारण में प्रकाशनार्थ)

सरकार एन.सी.टी. दिल्ली का, पुराना न्यायालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियों का कार्यालय - 110001

संसद मार्ग, नई दिल्ली

/2020

दिनांक:

47/취(대/06/2020/ 5

अधिसूचना

द्वारा इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि एक सहकारी समिति के वार्षिक लेखा परीक्षा के संचालन से संबंधित प्रावधान जैसा कि अनुआग में निहित हैं दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 के 60 और दिल्ली सहकारी समिति नियम, 2007 के नियम 38 और नियम 80 वितीय वर्ष 2020-21 (2004)एक सहकारी समिति के लेखा परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित संशोधन के साथ लागू होंगे: अधिनियम 3) की धारा 127 और दिल्ली सहकारी समिति नियम 2007 के नियम 163 शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल विभिन्न संख्या 47/मीति/06/2020: दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 और प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए जो कोविद -19 स्थिति के कारण लाग् (4 नि

"कि सहकारी समितियों के वार्षिक लेखा परीक्षा के संचालन की पूरी प्रक्रिया अर्थात खातों का निर्माण, पैनल में शामिल चार्टडे एकाउंटेट द्वारा लेखा परीक्षा का संचालन और आरसीएस के कार्यालय को लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करना समितियों द्वारा 15 जनवरी 2022 तक पूरा किया जाना है, विभिन्न हस्तक्षेप करने वाले कदमों/अनुपालनों के लिए निधीरित समयसीमा के बावजूद ॥" उपराज्यपाल के नाम और आदेश से

क्षेत्र दिल्ली राष्ट्रीय राजध्मनी (डॉ. टी. फिलिप थंग लीनमंग) विशेष सचिव

फा. सं. 47/मीति/06/2020/196

दिनांक: 09/12/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थं अग्रेषितः

- प्रधान सचिव (कानून), दिल्ली सरकार।
- सचिव (समन्वय), जीएडी, सरकार। दिल्ली सरकार 34.
- संबंधित अधिकारी।
- पीएओ-XIII. सरकार। एनसीटी ऑफ दिल्ली, शंकर रोड, नई दिल्ली।
- पीए से आरसीएस/स्पेल। आरसीएस/डीआरसीएस/एआरसीएस, कार्यालय आरसीएस, नई दिल्ली।
 - सभी शाखा/अनुभाग प्रभारी। 9
- सहकारी समूह आवास/एचबी सोसायटी, दिल्ली। सभी
 - सभी सहकारी बैंकिंग/टी एंड सी सोसायटी. दिल्ली।
- आई/सी कप्यूटर सेल- वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

(डॉ. टी. फिलिप धंगलीनमंग)